




लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 78 / 2019 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:— 11.09.2019

श्री मांगीलाल बैरवा जिला संयोजक विधि एवं मानवाधिकार आर. टी. आई. विभाग  
चित्तौड़गढ़, पता:— न्यायालय परिसर कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 01.10.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 31.07.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 78/2019/(27.09)/443 दिनांक 12.09.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर को दिनांक 27.09.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 27.09.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

  
लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)




प्रकरण संख्या 78/2019 (सू.अ.)
श्री मांगीलाल बैरवा न्यायालय परिसर, कपासन बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर ने अपने पत्रांक /राजस्व/2019/145 दिनांक 25.09.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

यह कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आर. टी. आई. आवेदन से ग्राम बॉण्ड उर्फ बूल की खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.95 है. की मौके की स्थिति, उक्त आराजी पर निवासरत परिवारों की सूची तथा तहसीलदार भूपालसागर द्वारा 1980 से लगातार आज दिन तक की गई कार्यवाही की प्रतिलिपियां चाही गई जिस पर ग्राम बॉण्ड उर्फ बूल की खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.95 है. की मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.07.2019 की प्रमाणित प्रति, उक्त आराजी पर निवासरत परिवारों की सूची की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 (निवासरत परिवारों की सूची) एवं भूपालसागर उप तहसील का गठन 1985 में होने से व बाद में तहसील में कमोन्नत होने के बाद दिनांक 30.08.2019 तक की कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 की प्रमाणित प्रतियां इस कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर जरिये पत्रांक/रीडर/2019/203 दिनांक 30.08.2019 से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई थी। (प्रति संलग्न) सन् 1980 से 1984 तक ग्राम बॉण्ड उर्फ बूल तहसील कार्यालय कपासन के अन्तर्गत होने से 1980 से 1984 तक की सूचना देने के लिए तहसील कार्यालय कपासन को पत्रांक/रीडर/2019/204 दिनांक 30.08.2019 को लिखा गया था ताकि उक्त अवधि की सूचना सीधे ही आवेदक को उपलब्ध करायी जा सके। अतः प्रकरण को निस्तारित कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2019/145 दिनांक 25.09.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा उनके कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं जरिए पत्रांक/राजस्व/2019/203 दिनांक 30.08.2019 से उपलब्ध कराई जा चुकी है साथ ही



  
लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 78/2019 (सू.अ.)  
श्री मांगीलाल बैरवा न्यायालय परिसर, कपासन बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर

1980 से 1984 तक की सूचना उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार कपासन को भी लिखा जा चुका है।

चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा अपने कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना जरिए पत्रांक/राजस्व/2019/203 दिनांक 30.08.2019 से उपलब्ध कराई जा चुकी है निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, कपासन को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके कार्यालय के रेकार्ड में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सन् 1980 से 1984 तक की उपलब्ध हो तो अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जावे।



(चेतन वैवड़ा)

आई.ए.एस.  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)  
दिनांक:- 01 / 10 / 2019

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 78 / 2019 (सू.अ.) / 543  
प्रतिलिपि:-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भूपालसागर
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, कपासन
3. श्री मांगीलाल बैरवा जिला संयोजक विधि एवं मानवाधिकार आर. टी. आई. विभाग चित्तौड़गढ़ पता:- न्यायालय परिसर कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

(चेतन वैवड़ा)  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

